

न्यायालय- शिवानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क.-359 / 17)
(संस्थित दिनांक-10.08.17)

म.प्र.राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र- मौ
 जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

1. सुनमान सिंह पुत्र कन्ही यादव आयु 45 वर्ष
 निवासी खेरिया थाना मौ तह. गोहद, जिला-भिण्ड।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 09.05.2018 को घोषित)

1. अभियुक्त पर भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 01.07.17 को सुबह आठ बजे फरियादी गिरीश कुशवाह के खेत अंतर्गत ग्राम खेरिया जल्लू थाना मौ जिला भिण्ड में फरियादी गिरीश को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के आधार पर अभियुक्त को दिनांक 09.05.2018 को शमनीय अपराध अंतर्गत धारा 294, 323 दो बार एवं 506 भाग 2 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया। यह निर्णय मात्र धारा 324 के संबंध में घोषित किया जा रहा है।
3. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.17 को सुबह लगभग आठ बजहे जब फरियादी गिरीश अपनी खेत की मेड़ पर झाड़ लगा रहा था तभी अभियुक्त ने फरियादी से गाली गलोच कर कुल्हाड़ी से मारपीट की जिससे चोट आयी। अभियुक्त ने फरियादी की पत्नी को भी कुल्हाड़ी की बेंट से मारा तथा जान से मारने की धमकी दी। इसके संबंध में फरियादी द्वारा की गयी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.07.17 को थाना मौ के अपराध क. [165/17](#) धारा 294, 323, 506 भाग 2 भा.दं.सं. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षियों के बताये अनुसार कथन लेख किये गये। अभियुक्त से कुल्हाड़ी जप्त की गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया

गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत दंडनीय अपराध की विशिष्टियां विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया।

5. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.07.17 को सुबह आठ बजे फरियादी गिरीश कुशवाह के खेत अंतर्गत ग्राम खेरिया जल्लू थाना मौ जिला भिण्ड में फरियादी गिरीश को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

6. साक्षी गिरीश अ.सा.1 का कहना है कि घटना दिनांक को अभियुक्त से मुंहवाद और धक्कामुक्की हो गयी थी तथा इसी घटना की उनसे थाने में रिपोर्ट कर दी थी। धक्कामुक्की के दौरान उसे चोट आयी थी उसकी रिपोर्ट प्र.पी.1 है। साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसे कुल्हाड़ी या किसी धारदार आयुध से मारे जाने का कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियुक्त द्वारा उसे कुल्हाड़ी से मारने के सुझाव से इंकार किया है और प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में उक्त तथ्य न लिखाना व्यक्त किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन अभियोजन के मामले को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

7. घटना में अन्य आहत साक्षी भगवती बाई अ.सा.2 ने भी अभियुक्त और फरियादी के मध्य मात्र वाद-विवाद होना बताया है। शेष अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को भी पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

8. प्रकरण में उभयपक्ष का लिखित राजीनामा अभिलेख पर है तथा फरियादी एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने 01.07.17 को सुबह आठ बजे फरियादी गिरीश कुशवाह के खेत अंतर्गत ग्राम खेरिया जल्लू थाना मौ जिला भिण्ड में फरियादी गिरीश को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त सुनमान सिंह पुत्र कन्ही यादव को भा.दं.सं. की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

10. प्रकरण में जप्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।
टंकित।

मेरे निर्देशन पर

(शिवानी शर्मा)

न्या०मजि०प्रथम श्रेणी, गोहद

(शिवानी शर्मा)

न्या०मजि०प्रथम श्रेणी, गोहद